

न्यायालय-मधुसूदन जंघेल,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)

दाण्डिक प्र0क्र0:-389 / 2015

संस्थित दिनांक:-25.05.2015

फाईलिंग नं..234503004502015

म0प्र0 राज्य द्वारा थाना प्रभारी आरक्षी
केन्द्र-बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)

.....अभियोजन

!! विरुद्ध !!

जगनसिंह पिता रामलाल धुर्वे, उम्र-38 वर्ष,
निवासी ग्राम हीरापुर थाना बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)

.....आरोपी

!! निर्णय !!

(आज दिनांक 08 / 05 / 2018 को घोषित किया गया)

1. उपरोक्त नामांकित आरोपी पर दिनांक 12.05.2015 को समय शाम 6-7 बजे आरक्षी केन्द्र बैहर अन्तर्गत ग्राम हीरापुर में फरियादी नैनसिंह को पेंचिस जैसे खतरनाक साधन से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित करने, इस प्रकार धारा-324 भा.दं.वि. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित करने का आरोप है।

2. प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य है कि दिनांक 06.01.2018 को आरोपी एवं फरियादी के मध्य राजीनामा होने से आरोपी को भा.द.वि. की धारा-294, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त किया गया तथा धारा-324 भा.द.वि. राजीनामा योग्य न होने से उस पर विचारण किया गया।

3. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस आशय का है कि घटना दिनांक 12.05.2015 को शाम 6-7 बजे फरियादी नैनसिंह ग्राम हीरापुर में अपने घर से खाना खाकर घर के बाहर निकला, उसी समय आरोपी जगनसिंह बिजली के खंबे में चढ़कर बिजली के तार को जोड़-खोल कर रहा था। आरोपी को बिजली से करंट लग सकती थी। फरियादी ने कहा कि सुधरवाने के लिये

लाईन में को बुला लेगा, इसी बात को लेकर आरोपी जगनसिंह गुस्सा हो गया और फरियादी नैनसिंह को माँ-बहन की गालियाँ देते हुए अपने हाथ में रखे हुए पेंचिस से फरियादी के सिर में मार दिया और हाथ-मुक्कों से भी मारपीट किया। घटनास्थल पर उपस्थित राजेन्द्र, सुरेश, फूलसिंह, संजू ने बीच-बचाव किया, आरोपी ने फरियादी को जान से मारने की धमकी भी दिया, जिसके उपरांत फरियादी ने थाना बैहर में जाकर घटना की रिपोर्ट की, जिसे थाना के प्रथम सूचना रिपोर्ट अप0क0-52/15 धारा-294, 323, 506 भा.दं.वि. का पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। आहत का मेडिकल परीक्षण कराया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं आवश्यक अन्वेषण उपरांत धारा-294, 324, 506 भा.दं.वि. के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4. आरोपी ने अपने अभिवाक् तथा अभियुक्त परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 में आरोपित अपराध करना अस्वीकार किया है तथा बचाव में कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फसाया गया है। आरोपी ने अपने बचाव में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया है।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय हैं-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 12.05.2015 को समय शाम 6-7 बजे आरक्षी केन्द्र बैहर अन्तर्गत ग्राम हीरापुर में फरियादी नैनसिंह को पेंचिस जैसे खतरनाक साधन से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया ?

-:: निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण ::-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-01

6. नैनसिंह अ.सा.01 ने बताया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना दिनांक 12.05.2015 को शाम 7:00 बजे ग्राम हीरापुर में उसके घर के सामने की है। घटना के समय आरोपी जगनसिंह उसके घर के सामने बिजली के खंभे पर चढ़कर उसकी लाईट काट दिया था, जब उसने आपत्ति किया, तब

आरोपी ने अपने हाथ में रखे पेंचिस से उसे मार दिया, उसके सिर से खून निकला था। मीराबाई उसे घटनास्थल से उठाकर घर ले गई और वहाँ से बैहर थाने में जाकर घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 पंजीबद्ध कराया था। पुलिस ने घटना के संबंध में उसका बयान लेखबद्ध किया था।

7. नैनसिंह अ.सा.01 ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी के घर की बिजली गुल थी और वह विद्युत खंभे के पास खड़े होकर अपने कनेक्शन के तार को हिला रहा था। यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी ने उसके घर की बिजली का तार नहीं काटा था। उसने आरोपी को बिजली का तार हिलाने से मना किया था। उसने आरोपी को गाली-गलौच की थी उसके बाद आरोपी से उसका वाद-विवाद हुआ था, जिससे यह भी स्पष्ट है कि घटना दिनांक को आरोपी एवं फरियादी के मध्य झगड़ा हुआ था। नैनसिंह अ.सा.01 ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दिया था। आरोपी से उसका पहले से विवाद है। विवाद होने के कारण आरोपी के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाया है। यद्यपि इस साक्षी ने उक्त कथन किया है, किन्तु साक्षी के कथन को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। आहत नैनसिंह ने आरोपी द्वारा मारपीट करने एवं सिर में चोट आने की बात बताई है, जिसे प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नहीं दिया गया है, इसलिये घटना दिनांक को मारपीट का तथ्य अखण्डनीय है।

8. मीराबाई अ.सा.02 ने बताया है कि वह आरोपी को जानती है। घटना वर्ष 2015 के शाम 7:00 बजे ग्राम हीरापुर की है। घटना के समय आरोपी जगनसिंह नैनसिंह के घर के सामने बिजली के खंभे पर चढ़कर तार को हिला रहा था। नैनसिंह ने उसे मना किया, तो आरोपी ने पेचकस से उसके सिर पर मार दिया, जिससे नैनसिंह के सिर से खून निकल रहा था। फिर ये लोग नैनसिंह को लेकर थाना गये थे। पुलिस ने घटना के संबंध में उसका बयान लिया था। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का मौका नक्शा प्र.पी.02 भी तैयार किया था। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय वह घर के

अंदर बैठी थी, किसने किसको गाली-गलौच किया तथा किसने किसको पहले मारपीट किया उसने नहीं देखा था। घटना के समय वह घर के अंदर थी, इसलिये आरोपी को नैनसिंह के साथ मारपीट करते हुए नहीं देखी। इस प्रकार यह साक्षी घटना की अनुश्रुत साक्षी है, किन्तु इस साक्षी ने आरोपी के सिर पर घटना के तत्काल उपरांत चोट होने के तथ्य का समर्थन किया है।

9. फगनसिंह अ.सा.03 ने बताया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना दिनांक 12.05.2015 को शाम 7:00 बजे ग्राम हीरापुर की है। घटना के समय आरोपी जगनसिंह नैनसिंह के घर के सामने बिजली खंभे पर चढ़कर उसके घर की लाईट काट दिया था। नैनसिंह के आपत्ति करने पर आरोपी ने नैनसिंह को पेंचिस से मार दिया था, जिससे नैनसिंह के सिर से खून निकला और वह बेहोश हो गया। फिर वे लोग नैनसिंह को उठाकर बैहर थाने ले गये और घटना की रिपोर्ट दर्ज कराये थे। पुलिस ने घटना के संबंध में उसका बयान लेखबद्ध किया था। प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि घटना के समय वह घर के अंदर खाना खा रहा था। स्वतः बताया है कि खाना खाकर घर के बाहर आ गया था। यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी एवं फरियादी ने एक-दूसरे को गाली-गलौच की थी। स्वतः बताया है कि आरोपी जगनसिंह ने पहले विवाद किया था। यह भी स्वीकार किया है कि फरियादी नैनसिंह उसके पिता है, किन्तु इससे इंकार किया है कि वह आरोपी को झूठा फसाने के लिए असत्य कथन कर रहा है। इस प्रकार इस साक्षी ने मारपीट की घटना का समर्थन किया है।

10. नैनसिंह अ.सा.01 ने बताया है कि उसके सिर में चोट आई थी। पुलिस वालों ने उसका मुलाहिजा करवाया था। मीराबाई अ.सा.02 तथा फगनसिंह अ.सा.03 ने भी बताया है कि नैनसिंह के सिर में चोट आई थी। आहत द्वारा बताई गई चोट का समर्थन करते हुए डॉ० एन.एस. कुमरे अ.सा.04 ने बताया है कि दिनांक 12.05.2015 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैहर में आहत नैनसिंह पिता गुहदड़सिंह का उसने मेडिकल परीक्षण किया था। चोट

क्रमांक 01 आहत के सिर के दाहिने अग्रभाग में कंट्यूजन विथ एब्रेजन डेढ़ गुणा आधा इंच, जिसके मध्य भाग में एक चौथाई गुणा एक चौथाई खरोच का निशान था। चोट क्रमांक 02 चेहरे की दाहिनी तरफ एक गुणा आधा इंच का कंट्यूजन मौजूद था। चोट साधारण प्रकृति की थी, जो कठोर एवं बोथरी वस्तु से परीक्षण के 06 घंटे के भीतर पहुँचाई गई थी। उसके द्वारा दिया गया मेडिकल रिपोर्ट प्र.पी.03 है। आहत की चोट को प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नहीं दी गई है। आहत को चोट घटना के अलावा अन्य किसी कारण से आई हो, इस संबंध में भी आहत को सुझाव नहीं दिया गया है और ना ही चिकित्सक को कोई सुझाव दिया गया है, जिससे आहत की चोट चिकित्सक साक्षी के कथन एवं उसकी मेडिकल रिपोर्ट से भी प्रमाणित है।

11. भगतसिंह कुंजाम अ.सा.05 ने बताया है कि थाना बैहर के अपराध क्रमांक 52/15 धारा-294, 323, 506 भा.द.वि. की विवेचना के दौरान दिनांक 13.05.2015 को मीराबाई के बताये अनुसार घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.02 तैयार किया था। आरोपी के पेश करने पर लोहे की पेंचिस लंबाई 20 से.मी. जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.06 तैयार किया था। विवेचना के दौरान उसने संजू, फूलसिंह, राजेन्द्र, सुरेश, नैनसिंह, मीराबाई तथा फगनसिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। आरोपी को न्यायालय में उपस्थित होने की सूचना प्र.पी.05 दिया था। विवेचना के दौरान आहत की चोट पेंचिस से मारकर पहुँचाये जाने से उसने धारा-324 भा.द.वि. का ईजाफा कर अभियोग पत्र उसने न्यायालय में पेश किया था। प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि उसने साक्षियों का बयान अपने मन से लेखबद्ध कर लिया था।

12. इस प्रकार फरियादी नैनसिंह ने आरोपी द्वारा मारपीट करने एवं सिर में चोट आने की बात बताई है, जिसकी पुष्टि साक्षी फगनसिंह अ.सा.03 ने भी किया है। आहत नैनसिंह ने आरोपी की मारपीट से सिर में चोट आना बताया है। आहत की चोट का समर्थन चिकित्सक साक्षी डॉक्टर एन.एस. कुमरे अ.सा.04 के कथन एवं मेडिकल रिपोर्ट (प्र.पी.-03) से होता है। साक्षीगण के

कथन में कोई तात्त्विक विरोधाभास एवं लोप नहीं है। फलतः उपरोक्त परिस्थितियों में आरोपी जगनसिंह द्वारा फरियादी नैनसिंह के साथ मारपीट की घटना प्रमाणित पाया जाता है, जहाँ अभियोजन के मामले का समर्थन चिकित्सक साक्षी के कथनों से होता है एवं आहत साक्षीगण के कथन में कोई दुर्बलता न हो वहाँ भी अभियोजन का मामला प्रमाणित पाया जाता है। इस संबंध में **न्यायदृष्टांत भावला बनाम स्टेट ऑफ़ एम.पी., 2005 (2) जे.एल. जे. 403-** अवलोकनीय है।

13. अब प्रकरण में यह विचार किया जाना है कि क्या आरोपी द्वारा फरियादी नैनसिंह के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया गया था। आहत के कथन से अथवा बचाव में ऐसा भी कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है कि गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के वशीभूत होते हुए अथवा प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में आरोपी ने फरियादी से मारपीट की थी। फलतः आरोपी द्वारा की गई मारपीट की घटना भी स्वेच्छया किया जाना प्रमाणित होता है।

14. उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 12.05.2015 को समय शाम 6-7 बजे आरक्षी केन्द्र बैहर अन्तर्गत ग्राम हीरापुर में फरियादी नैनसिंह को पेंचिस जैसे खतरनाक साधन से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया। फलतः आरोपी को धारा 324 भा.दं.वि. के आरोप में सिद्धदोष पाया जाकर दोषसिद्ध ठहराया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी को अपराधी परीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिया जा रहा है। फलतः दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

(मधुसूदन जंघेल)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट म.प्र.

पुनश्च:-

15. दण्ड के प्रश्न पर उभयपक्ष को सुना गया। आरोपी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आरोपी के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है। प्रथम अपराध है। प्रकरण वर्ष 2015 से लंबित है तथा लगभग प्रत्येक सुनवाई तिथियों पर आरोपी उपस्थित होते रहा है। आरोपी एवं फरियादी के मध्य राजीनामा हो गया है। फलतः दण्ड के प्रति नरम रूख अपनाये जाने का निवेदन किया है। अभियोजन की ओर से ए.डी.पी.ओ. ने आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया है। उभयपक्ष को दण्ड के प्रश्न पर सुनने एवं प्रकरण के अवलोकन से भी प्रकट है कि वर्ष 2015 से लंबित है। आरोपी भी प्रायः प्रत्येक सुनवाई तिथियों पर उपस्थित होते रहा है। आरोपी एवं फरियादी के मध्य राजीनामा भी हो चुका है। फलतः अपराध की प्रकृति एवं उक्त परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को निम्नलिखित दण्ड से दण्डित किया जाता है :-

क्र.	नाम आरोपी	धारा	जेल की सजा	अर्थदण्ड	व्यतिक्रम में सजा
01	जगनसिंह पिता रामलाल धुर्वे, उम्र-38 वर्ष	324 भा0द0वि0	न्यायालय अवधि अवसान तक कारावास	1000/- रुपये	15 दिवस साधारण कारावास

16. आरोपी के बंधपत्र एवं प्रतिभूति पत्र निरस्त किया जाता है। आरोपी जमानत पर है। आरोपी को अभिरक्षा में लिया जाकर सजा भुगताने हेतु जेल भेजा जावे।

17. आरोपी जिस कालावधि के लिए जेल में रहा हो उस विषय में एक विवरण धारा-428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत बनाया जावे जो निर्णय का भाग होगा। निरोध की अवधि मूल कारावास की सजा में मात्र मुजरा हो सकेगी। आरोपी की पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा की अवधि निरंक है।

18. आरोपी द्वारा अर्थदण्ड अदा कर दिये जाने पर अर्थदण्ड की राशि संपूर्ण राशि 1000/- रुपये (अंकन में एक हजार रुपये) आहत नैनसिंह पिता गुहदड़सिंह, उम्र-55 वर्ष, निवासी ग्राम हीरापुर थाना बैहर जिला बालाघाट

मध्यप्रदेश को अपील अवधि पश्चात अपील न होने पर दिया जावे।

19. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति लोहे की पेंचिस मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में नष्ट किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया। “मेरे निर्देश पर टंकित किया”

सही / —
(मधुसूदन जंघेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट (म.प्र.)

सही / —
(मधुसूदन जंघेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट (म.प्र.)